

पश्चिमी मुद्रण वर्ग  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
निकट पालम रेलवे फाटक  
दिल्ली कैंन्ट, 110010

नेमी आदेश संख्या प0मु0व0/ 7 /37-जी-9 दिनांक 26 दिसम्बर 2018

(1) तृतीय एम.ए.सी.पी. स्कीम:-

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.09.2011, 29.11.2004 तथा 27.01.2009 को जारी डब्ल्यू0पी0 संख्या 8341/2009 एवं मूल आवेदन संख्या 73/2004 तथा सी.पी. संख्या 456/2008 कमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप बी (अराजपत्रित) डिविजन-11 एवं डिविजन-11 (डिविजन-11 से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणनुसार एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन लाभ प्रदान किया जाता है :-

On implementation of Hon'ble High Court and CAT Principal Bench, New Delhi court order , dated 12-09-2011, 29.11.2004 and 27.01.2009 on OA No. 73/2004 and CP No. 456/2008 and in accordance with Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training ) O.M. No. 35034/3/2008 Estt.(D) dated 19.05.2009, received under DST's letter No. 11019/1/2008-CDN, dated 8.6.2009, the undermentioned Group 'B' Non-Gazetted (Div.I (Promoted from Division II) of this Directorate is granted **Third** Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix **in Level-8** with effect from the date as mentioned against his name:-

क्र.सं Sl. No.	नाम व पदनाम/ Name & Designation	एम.ए.सी.पी. मिलने के तिथि Date from which benefit of 3 <sup>rd</sup> MACP applicable	वेतन जिसमें अगला वित्तीय उन्नयन दिया जाना है PayMatrix for which benefit is applicable	प्राधिकार Authority
1.	श्री राकेश गुप्ता, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर Shri Rakesh Gupta, Sr. Rep.	01.01.2019	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में Pay Matrix in level 8	महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-6701/1902-एम.ए.सी.पी. दिनांक 10.12.2018 SG's letter No. C-6701/1902 MACP (WPG), dt. 10.12.18

टिप्पणियां :- अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-19 and debited to appropriate head of account.

- एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।  
The individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme.

(2) सेवानिवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए ।

The following personnel of this office has been retired on superannuation from Govt. service from the date shown against his name as per details shown hereunder:-

क्र.सं. S.No.	नाम व पदनाम/ Name & Designation	सेवानिवृत्त की तिथि/Date of retirement
1.	श्री सी.पी. सिंह, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर Shri C. P. Singh, Sr. Rep.	30.11.2018

बिन्दु मंघाट  
26/12/18  
(बिन्दु मंघाट)  
निदेशक